हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/7/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी (सहायक अभियन्ता PWD उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान सुनी गई। फील्ड अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका मुआयना किया गया। मौके पर लगभग 50-वर्ष से एक से दूसरे गांव को जोड़ने हेतु प्रचलित रास्ता चालु है। उक्त प्रचलित रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण करवाया जाना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त के तहत दिया कि उक्त प्रचलित रास्ते पर [illegible] निर्माण विभाग के [illegible] 37-50 लाख रुपये [illegible] हो चुके है। आधी सड़क का निर्माण हो चुकी सड़क निर्माण के प्रार्थी	

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:30:36 IST
Reason: Self Attested

को किसी प्रकार की कोई
रुकावट नहीं होगी। मौका
द्वारा जन हित के लिए
सड़क का निर्माण करवाया
जा रहा है।

प्रार्थी को सुना गया।
प्रार्थी ने निवेदन किया
कि उक्त प्रार्थीगण
मेरे खेत में उक्त
दूसरे के खेत में भी
इसलिए खेत में किसी
प्रकार निर्माण नहीं करें।
बहस पर मनन किया गया।
पत्रावली खसरा नम्बर 263
प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज
है। मौके निरीक्षण में मौके
पर 50-60 वर्ष पुराना
एक मार्ग दूसरे [illegible]
को [illegible]
रास्ता [illegible]
पर उपस्थित ग्रामीण
व्यक्तियों द्वारा भी यह
बताया कि गया कि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:30:36 IST
Reason: SelfAttested

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वास्ते काफी वर्षों पुराना प्याऊ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के लिये आवश्यक विधायिकीय तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति पर गौर किया गया। वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक (लोकोपयोगी) उपयोग उपयोग में काम आ रही है। तथा प्रार्थना पत्र के तीनों विधायिकीय बिन्दुओं प्रार्थी के पक्ष नहीं पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं पाया जाता है। वाद वर्णित अनुतोष का निर्धारण साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर किया जावेगा। अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य [illegible] पत्र पोषणीय नहीं [illegible] किया जाता है। न्यायालय के [illegible] 20-1-2022 को स्थगन [illegible] पत्रावली नियमानुसार पेश होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (सुनील कुमार चौहान) उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:30:36 IST
Reason: SelfAttested